छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5-08 / 2023 / 10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 🕻 / 01 / 2024 प्रति,

वनमहानिरीक्षक,

4

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ — 492015।

विषय:— Diversion of forest land for non-forest purpose under FCA-1980, for setting up 132 KV DCDS Transmission Line for M/s Nav Durga Fuel (P) Ltd. Village Saraipali, District Raigarh, Chhattisgarh area 2.978 ha - reg.

संदर्भः— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्र. FC-I/IROCH-25/2023/1415,दिनांक 24.05.2023।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्र./भू—प्रबंध/विद्युत/ 479—184/2674, दिनांक 05.12.2023।

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/— उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 05.12.2023 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार।

(के.पी.राजपूत) अवर सचिव छत्तीसगढ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–08 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 🎉 01 / 2024 प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

> अवर सचिव छत्तीसगढ शासन, वस एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

ई - मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/479-184/**767-4 प्रति**,

and any

रायपुर, दिनांक*95*/12/2023

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तनं विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर /201/10-2/41 08:12-2022 2018

विषय:

समिव, वन एवं जनवायु परिवर्तन विभाग

Diversion of forest land of non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 132 KV DCDS Transmission Line for M/s Nav Durga Fuel (P) Ltd. at village Saraipali District Raigarh Chhattisarh area 2.978 ha. Regarding.

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 44661/2020

संदर्भ:— 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक/ FC-I/IROCH-25/2023/1415 दिनांक 24.05.2023

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 2956 दिनांक 18/10/2023

-00

उपरोक्त संदर्भित पत्र —1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा ''रायगढ़ वन मण्डल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्तावित 132 KV DCDS Transmission Line प्रकरण रकबा 2.978 हे. राजस्व वन क्षेत्र को गैर वानिकी उपयोग हेतु M/s Nav Durga Fuel (P) Ltd. at village Saraipali District Raigarh को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति उपरांत मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र –2 के माध्यम से पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा कार्यालयीन प्रेक्षा अनुसार औषधी रोपण योजना हेतु वांछित राशि रू. 524619/— दिनांक 22.11.2023 को कैम्पा खाते में जमा किया गया है जिसके अनुसार शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

S.No.	Conditions	Updated Compliance
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। संस्थान का
		Undertaking संलग्न है। संलग्नक 1
ii	The non-forest land proposed for CA Shall be	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ जिला के तह.
	transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to	–घरघोड़ा के ग्राम–भेंगारी के खसरा नं. 128/2 रकबा
3	Stage-II approval. A copy of the original	3.035 हे. निजी भूमि को दानपत्र (प्रतिफल विहीन)
2003 200	notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest	क्रमांक CG6217510082023002 दिनांक 10.08.
7	Act, 1927 or under the relevant section of the	2023 को छ.ग. शासन, वन विभाग के पक्ष में
9	State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to	हस्तांतरित/नामांतरित किया जा चुका है। तदुपरांत
	Stage-II approval;	उक्त चयनित निजी भूमि का अधिसूचना प्रस्ताव
		कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2497 दिनांक 03.11.2023
15	DSCM MSCR)	द्वारा छ.ग.शासन वन विभाग को प्रेषित किया जा चुका
是	Joseph John John John John John John John Joh	है। संलग्नक–02

37 -Letter Power Palan Pritiwadan 2023 (1) B DEC 2023

0'8 DEC 2023

0/50 Kept 8.12.23

		245
S.No.	Conditions	Updated Compliance
,	Compensatory afforestation	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ जिला के तह.
	Compensatory afforestation shall be taken up	–घरघोड़ा के ग्राम–भेंगारी के खसरा नं. 128/2 रकबा
	by the Forest Department over 3.035 ha. Non-	3.035 हे. निजी भूमि को छ.ग.शासन वन विभाग के पक्ष
	forest land in Patwari halka No. 18, Khasrah	1
	No. 128/2 at Village-Bhengari , TheGharghoda, District- Raigarh. Suitability	में हस्तांतरित/नामांतरित किया जा चुका है। शर्त
	certificate has been submitted by DFOs	अनुसार पालन हेतु आवेदक संस्थान मेसर्स नव दुर्गा
	concerned. Certificate to defray the cost of CA	फ्यूल प्रा.लिमि. द्वारा Undertaking दिया गया है। वन
	has been submitted by the User Agency. As far	विभाग द्वारा शर्त अनुरूप वृक्षारोपण कार्य कराया
	as possible, a mixture of local indigenous	
	species alog fruit trees and 10% RET species	जायेगा। संलग्नक — 03
	of Raigarh District shaal be planted and	
	monoculture of any species may be avoided. The User agency shall make necessary	
	facility/construction in the area to meet the	
	water requirement for plantation and for wild	
	animal throughout the year;	
iv	The cost of compensatory afforestation at the	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु वर्तमान सिंचित दर राशि
	prevailing wage rates as per compensatory	रु. 9,66,666.00 के मान से कुल राशि रु. 29,33,832.00
	afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars	(उन्तीस लाख तैतीस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र)
	if required on the CA land shall be deposited	परिवेश पोर्टल के माध्यम से आनलाईन कैम्पा खाते में
	in advance with the Forest Department by the	
	project authority. The CA will be maintained	जमा किया जा चुका है। जमा राशि की पावती प्रति
	for 10 years. The scheme may include	संलग्न है। संलग्नक — 04
	appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent	
	years;	
v	NPV	
(a)	The State Government shall charge the Net	शर्त के पालन में समादेश याचिका (सी) क्रमांक
	Present Value (NPV) for the 2.978 ha. Forest	202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय
	area to be diverted under this proposal form	
	the User Agency as per the order of the	सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.
	Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in	08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के
		अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक
	WP (C) No. 202/1995 and as per the	5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा भारत
	guidelines issued by the Ministry vide letters	सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.नं. 5–3/2011–एफ.सी.
	No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated	
	well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated	(व्ही.ओ.एल.—1) दिनांक ०६ जनवरी २०२२ के द्वारा
	05/02/2009, letter No. 5-3/2011-FC(Vol-I)	जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित
	dated 06-01-2022 and letter No. 5-3/2011-FC	की जाने वाली 2.978 हे. मे से सघन वन रकबा 2.978
	(Vol-I) dated 22-03-2022 in this regard;	हे. के लिए इको वेल्यु क्लास—III सघन वन प्रति हे.
		12,28,590.00 अनुसार राशि रुपये 36,58,742/—
		(रुपये छत्तीस लाख अन्डावन हजार सात सौ ब्यालीस
,		
		मात्र) परिवेश पोर्टल के माध्यम से आनलाईन कैम्पा
		खाते में जमा किया जा चुका है। जमा राशि की पावती
		प्रति संलग्न है। संलग्नक — 04

S.No.	Conditions	Updated Compliance
(4)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	finalization of the same by the Hon'ble	Undertaking संलग्न है। संलग्नक — 05
	Supreme Court of India on receipt of the report	
	from the expert committee, shall be charged by the State Govt. from the User Agency. The	
	User Agency shall furnish an undertaking to	
	this effect;	
vi	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by	उक्त प्रकरण में प्रभावित टॉवर लाईन कॉरीडोर के
		3—3 मीटर की चौड़ाई में प्रभावित 161 नग खड़े वृक्षों
		के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 2,05,438.
		00 (दो लाख पांच हजार चार सौ अड़तीस मात्र) का
	the User Agency with the State Forest Department.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायगढ़ द्वारा जारी बैंकर्स चेक
	-	क्रमांक 366233 दिनांक 06.07.2023 द्वारा वन मंडल
		अधिकारी रायगढ़ के नाम से तैयार कर जमा किया जा
	·	चुका है। छायाप्रति संलग्न है। उत्पादन प्रभाग से वृक्ष
		विदोहन की स्वीकृति पश्चात ही विदोन कार्य कराया
		जायेगा। संलग्नक — 06
vii	All the funds received from the user agency	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	under the project shall be transferred/deposited	Undertaking संलग्न है संलग्नक – 07
	to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	·
viii	State Government, Chhattisgarh/Nodal Officer	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी
	(FCA), Chhattisgarh shall ensure settlement of	्वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
	rights, under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of	क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा वन
	Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007)	अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रारुप फार्म–1
	before issuing an oder for handing over of	कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रदान किया गया है। वन
	forest land to the User Agency as per Rule-9	अधिकार की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक — 08
	(6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28-06-2022;	THE PERSON NEW TO THE THE THE
ix	To improve the Forest/Trees cover and to	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	reduce pollution in the State, as mandated in	Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 09
	National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986	
	respectively, the User Agency with	
	involvement of Joint Forest Management	
	Committees (JFMC's) and in consultation with	
	local DFO's shall raise at least 1000 seedlings of forestry species alog with bamboo, fruit	
	bearing, medicinal, ornamental and	
	indigenous/local each years for 5 years, At	
	least 50% of seedlings shall be planted in the	
	vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers	
	as per choice of villagers, The concerned	
	JFMC's shall maintain record of	
	plantation/seedling distribution to villagers;	

: ` `

S.No.	Conditions	Updated Compliance
**	The trees having bird nests shall not be felled without written permission from the DCF concern, both in forest as well as non-forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। संलग्नक — 10
xi	Bird diverters shall be installed at suitable intervals throughout the transmission line in consultation with the State Government, and also as per the directions issued by the Hon'able Supreme Court from time to time;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। संलग्नक — 11
xii	The User Agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed sheeme for creation and maintenence of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in raight of way under the transmission line and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department, A copy of the same shall be submitted alog with Stage-I compliance report;	ट्रांसिमशन लाईन के नीचे बौनी प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु 0.66 हे. की योजना संलग्न प्रेषित है। योजना अनुरूप राशि रू. 524619/— आवेदक संस्थान द्वारा राशि कैम्पा खाते में जमा की गयी है। संलग्नक — 12
xiii	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 27m. The minimum clearance between conductors and trees shall be 4.0 m.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 13
xiv	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014 and by the Hon'ble Supreme Court from time to time;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 14
XV	User Agency Shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. ट्रांसिमशन लाईन निर्माण कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है। संलग्नक — 15
xvi	The layout plan of teh proposal shall not be changed without prior approval of Cental Government;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 16
xvii	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। संलग्नक — 17
xviii	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the baourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	आवेदक संस्थान मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल प्रा.लिमि. द्वारा सहमति दिया गया है। Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 18

S.No.	Conditions	Updated Compliance
Xix	The boundary of the diverted forest land shall	आवेदित क्षेत्र को 04 फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स
	be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions fo the concerned Divisional Forest Officer;	द्वारा सीमांकन किये जाने हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि
		रु. 1,51,088.00 (एक लाख इन्कावन हजार अठासी
		मात्र) डी.डी. क्रमांक 650355 दिनांक 21.07.2023 द्वारा
		वन मंडल अधिकारी रायगढ़ के नाम से तैयार कर जमा
		किया जा चुका है। छायाप्रति संलग्न है।
		संलग्नक — 19
XX	No additional or new path will be constructed	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 20
xxi	The period of diversion under this approval	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 21
xxii	The forest land shall not be used for any	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	purpose other than that specified in the project proposal;	Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 22
xxiii	The forest land proposed for diversion, shall	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	under no circumstances, be transferred to any other agencies, department or any persion withour prior approval of Govt. of India;	Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 23
xxiv	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC	आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के
		 प्रावधान का उलंघन नहीं किया गया है। संस्थान का
		Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 24
	dt. 29-01-2018 and other relevant rules/orders in this regard;	
XXV	Any other condition that the Ministry of	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
	Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of convervation, protection and development of forests & Wildlife;	Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 25
xxvi	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका
		Undertaking संलग्न है। संलग्नक – 26

कृपया प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः - संलग्नक 1 से 26 तक की छाया प्रति (प्र.मु.व.स एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़ पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/४७९–१८४/ ८४ 💤

दिनांक *25*/12/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (कैम्पा) नवा रायपुर, छ.ग.। कैम्पा मद में निम्नानुसार राशियां जमा की गई है:-

क्र.	मृद	राशि रू.	रिमार्क
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	2933832	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ जिला के
2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	3658742	तह.—घरघोड़ा के ग्राम—भेंगारी के खसरा — नं. 128/2 रकबा 3.035 हे. निजी भूमि में
3	औषधी रोपण	524619	प्रस्तावित।

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (vi) 2. के पालन में ।
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर। 3.
- लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाइड लाईन दिनांक 28.08.2015 के अंतर्गत आवेदक संस्थान द्वारा सीमांकन की शर्त पर प्रथम चरण स्वीकृति में जारी शर्तों की पालन के शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की जाती है। यह अनुमित एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। उत्पादन प्रभाग से वृक्ष विदोहन की अनुमति लिये बिना वृक्षों का विदोहन नहीं किया जावेगा।
- वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़। 4.
- Electrical Manager, नव दुर्गा फ्यूल प्रा.लि, सांई सदन, प्लाट नं. 91/10 दरोगा मुरा, एस.बी.आई के सामने, 5. कोटरा रोड, रायगढ।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.सं.अ)